

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय वित्त मंत्री के विचार *

भारत की सर्वाधिक विख्यात एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक की 75वीं जयन्ती समारोह में आज यहां उपस्थित होने पर मुझे खुशी है। आज भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थिति वांछनीय बन गई है और दुनिया भर के केन्द्रीय बैंकों की जमात में अच्छा सम्मान है। इसका श्रेय इससे जुड़े रहे, विशेषकर भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ (गत और वर्तमान), उन सबको जाता है जिन्होंने इसे उस ऊंचाई पर पहुंचाने, जिस पर आज यह है, के लिए कठिन परिश्रम किया है। हाल के दिनों में दुनिया की नज़रों में इस संस्था के प्रति उच्च सम्मान है जिसने वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इतिहास की सबसे भयंकर मंदी के दौरान अत्यधिक लचीलापन दिखाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे इस बात का गर्व है कि वैश्विक संकट के कारण भारत में एक भी वित्तीय संस्था असफल नहीं हुई।

2. हम इस संकट से इसलिए बचकर निकल पाये, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बंद या पृथक थी, इस मत के विपरीत, मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा इसलिए कर पाये, क्योंकि हमने अपने बाजारों को पुनर्गठित और मजबूत बनाया तथा राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों का बहुत ही कम प्रयोग किया। हम एक सुनियंत्रित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए कार्य करते रहेंगे। संकट ने बड़े कदम उठाने से हमको नहीं रोका है। हम सुधार प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे सुधार सुविचारित और धीमे रहे हैं, लेकिन वे अनुक्रमणीय हैं। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की शेष अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत कर दिया है। बढ़ते एकीकरण के कारण नई चुनौतियां भी आई हैं लेकिन चुनौतियों के साथ विकास के लिए जबरदस्त अवसर भी खुले हैं।

3. आज भारत दुनिया के सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थानों में से एक है। भारत में विदेशी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), पोर्टफोलियो निवेश (विदेशी संस्थागत

* 1 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय नाट्य कला केन्द्र, मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण।

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली का भव्य समापन समारोह

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के
भव्य समापन समारोह में माननीय वित्त मंत्री
श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण।

निवेश(एफआईआई), विदेशी उद्यम पूंजी निवेश (एफवीसीआई) के रूप में या बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) आदि के रूप में किया जा सकता है। हमें और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे दुनिया की शेष अर्थव्यवस्थाओं से एकीकृत हो रही है। इसके लिए विनियामक अंतरालों और परस्पर व्याप्ति को समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिए, जो इन निवेशों के संबंध में बने हुए हैं। मेरा यह मत है कि भारत में ऐसे स्रोतों से निवेश को प्रोत्सोहित यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि यह उच्च विकास के पथ पर बना रहे।

4. भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती तीन या चार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जहां हम इस बात का गुणगान करते हैं, वहीं साथ में हमें समावेशी विकास का ध्येय रखना चाहिए। मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के कार्यक्रम के बारे में जानकर खुशी हुई है जिसमें मुख्य ध्यान वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर दिया गया है। यह एक प्रशंसनीय कार्य है कि बैंक के शीर्ष प्रबंधन वर्ग ने यह जानने के लिए देश भर के दूरस्थ गाँवों का दौरा किया कि आधारभूत संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं जिसमें आम लोगों की बातें सुनना, देखना और समझना शामिल है। जैसाकि मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लाभ 'आम आदमी' तक पहुंचाने की जरूरत है। अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत का वित्तपोषण करने की बड़ी जरूरत है।

5. वित्तीय समावेशन की जरूरत बार-बार महसूस की जाती रही है। मेरे बजट भाषण में मैंने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) गठित करने की घोषणा की थी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एफएसडीसी कोई उच्च विनियामक नहीं है। यह विनियामकों की स्वायत्तता को

कम आंके बिना यह अपने अधिदेश को हासिल कर लेगी। एफएसडीसी केवल वही कार्य करेगी, जो वर्तमान में मौजूदा व्यवस्था के द्वारा नहीं किये जा रहे हैं। परिषद विकास, विनियामक समन्वय और स्थिरता के मुद्दों पर समग्र ढंग से ध्यान केंद्रित कर हमारी सहायता करेगी। हम प्रस्तावित परिषद की सही संरचना पर विचार कर रहे हैं। इस विषय में हम शीघ्र ही सार्वजनिक वेबसाइट पर जानकारी रखेंगे।

6. मेरे बजट भाषण में मैंने वित्तीय क्षेत्र के लिए विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के गठन की भी घोषणा की थी। वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अधिकांश विधान पुराने हैं (जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; बीमा अधिनियम, 1938; लोक ऋण अधिनियम, 1944; प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956)। इन अधिनियमों में अलग अलग समय में किये गये अनेक संशोधनों से अस्पष्टता और जटिलता बढ़ी है। कानूनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उनके बीच में असंगतता की गुंजाइश तथा विनियामक अंतराल एवं परस्पर व्यापन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसने भी विनियामकों के बीच कु छ असामंजस्य और बाजार सहभागियों के बीच शंका पैदा कर दिया है। बाजारों और वित्तीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए इन कानूनों में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। बाजार की निश्चित सक्रियता और यह बात कि कई संशोधनों के साथ अनेक विधान हैं, नियम और विनियमन विधिक स्थिति को धुंधला कर रहे हैं, अतः ऐसे विधानों को पुनः लिखने की जरूरत है। वित्तीय क्षेत्र के लिए विधायी सुधार आयोग वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को पुनः लिख और स्पष्ट कर सकता है ताकि इन्हें वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। आयोग की अध्यक्षता कानून के विशेषज्ञ (उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश), वित्तीय क्षेत्र और बाजार के जानकार द्वारा की जा सकती है जिसमें अन्य सदस्य विधि, विनियामक और वित्तीय क्षेत्र के हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली का भव्य समापन समारोह

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के
भव्य समापन समारोह में माननीय वित्त मंत्री
श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में आर्थिक नीति को निश्चित रूप देने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। हमें इस संस्था को आधुनिक प्रजातंत्र के संदर्भ में स्वायत्तता और जवाबदेही के उचित संतुलन के साथ मजबूत करने की

जरूरत है। हमारे उद्देश्य भारत में आधुनिक, वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करने की ओर अग्रसर होना है जिसमें उचित प्रकार से सुदृढ़ और स्वायत्त विनियामक और केंद्रीय बैंक हो।